

राजस्थान में पाकस्तानी हद्दी अनश्चिति भवषिय का सामना कर रहे

चर्चा में क्यों?

सूत्रों के मुताबकि, [नागरिकता \(संशोधन\) अधिनियम \(CAA\) 2019](#) के बीच राजस्थान में पाकस्तानी हद्दियों को अनश्चिति भवषिय का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्य बद्दि:

- वर्तमान आम चुनावों के दौरान, [नागरिकता \(संशोधन\) अधिनियम \(CAA\), 2019](#) के व्यापक उत्साह के बीच, जसिने **31 दसिंबर, 2014** के बाद **भारत आए कुछ व्यक्तियों को राहत प्रदान की है**, उन्हें कई अनश्चितिताओं का सामना करना पड़ रहा है।
- इन व्यक्तियों को अब प्राथमिकि [नागरिकता अधिनियम 1955](#) के तहत नागरिकता प्राप्त करने की आवश्यकता है, एक ऐसी प्रक्रिया जसिके परिणामस्वरूप ऐतिहासिक रूप से आवेदकों को लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
- **पाकस्तानी हद्दी परिवार**, जो वर्षों पहले पाकस्तान की सीमा से लगे क्षेत्र **बाडमेर में चले गए थे**, यह भावना व्यक्त करते हैं कि **CAA या नागरिकता कानून** का तब तक सीमिति महत्त्व है जब तक कि उनके रहने की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता।
- [भारतीय नागरिकता](#) प्राप्त करने के बावजूद इनमें से **कई परिवार गरीबी की स्थिति में रहते हैं** और **सामाजिक प्रतिष्ठा** का सामना करते हैं।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA), 2019

- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 का उद्देश्य [नागरिकता अधिनियम \(CAA\), 1955](#) में संशोधन करना है।
- CAA पाकस्तान, अफगानस्तान और बांग्लादेश से छह गैर-दस्तावेज गैर-मुसलमि समुदायों (**हद्दि, सखि, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई**) को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने **31 दसिंबर, 2014** को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।
- यह अधिनियम इन छह समुदायों के सदस्यों को [वदिशी अधिनियम, 1946](#) और [पासपोर्ट अधिनियम, 1920](#) के तहत कसिी भी **आपराधिक मामले** से छूट देता है।
- दोनों अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और वीजा या परमिटि के समाप्त हो जाने पर यहाँ रहने के लिये **दंड नरिदष्टि** करते हैं।